

प्ररूप सं. 10च

(नियम 21कख का उपनियम (1) देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 की उपधारा (5) या धारा 90क की  
उपधारा (5) के अधीन दी जाने वाली सूचना

में, ..... \*पुत्र/पुत्री श्री ..... (पदनाम) की हैसियत से \*धारा 90/ \*धारा 90(क)  
की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए \*मेरे मामले में या ..... \*के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष ..... से सुसंगत  
निम्नलिखित सूचना देता हूँ :-

| क्रम सं. | सूचना की प्रकृति   | ब्यौरे# |
|----------|--|---------|
| (i)      | निर्धारिती की प्रास्थिति (व्यष्टि, कंपनी, फर्म आदि) :  |         |
| (ii)     | निर्धारिती का <sup>1</sup> [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (पी ए एन), यदि आबंटित किया गया हो :   |         |
| (iii)    | राष्ट्रीय (किसी व्यष्टि की दशा में)<br><br>या<br><br>निगमन या रजिस्ट्रीकरण का राष्ट्र या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र (अन्य की दशा में) :  |         |
| (iv)     | निवास के देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निर्धारिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या नहीं है तो ऐसी संख्या नहीं है तो ऐसी कोई अनन्य संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है जिसका निर्धारिती निवासी होने का दावा करता है : |         |
| (v)      | वह अवधि, जिसके लिए धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित निवासीय प्रास्थिति लागू है :  |         |
| (vi)     | देश में या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस अवधि के लिए निर्धारिती का पता जिसके लिए ऊपर (v) में यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र लागू है :  |         |

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. मैंने.....(भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का नाम) की सरकार से धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है।

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पता.....  
.....  
.....

<sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .....

### °Ei°EE(ExE

ãE.....एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि जो कुछ ऊपर कथित है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही,  
(EhEÇ+EE® °Ei°E BEEhEiE ÇE\*

+EEVÉ iEE®EiE.....BEEa°Ei°EEEEiE \*

°iEExE : ..... °EhEÉE nãEã EEãEã®EEBDE BEEãC°iEEFE®

EQ ((EhEEØ :

1. \* VEEããEEhEÜxÉCfã=°EhEEãEEhE BEE®\*

2. # लागू नहीं (एन.ए.) लिखें, यदि सुसंगत सूचना धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र का  
EEhE ÇE\*

---

1. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।